23.4.15

अधिकारी पीठासीन होने से
प्रकरण दि. 11/6/15 को पेश

6.7.15

गोपाललाल

गोपाललाल

पत्रावली अन्तर्गत राजस्व कोर्ट अदालत। के रूप में अभिभाषक में पेश हुई। वादी के प्रति वादी उपस्थित। वादी द्वारा यह धारा 188 R.T. Act में पेश किया है एवं दाह रास्ते की चाही गई है चूंकि वादी द्वारा रास्ते हेतु धारा 251 B. मे प्रार्थना पत्र पृथक से दायर कर रखा है अतः इस प्रकरण में उनकी कार्यवाही शेष नहीं यह मानते से प्रकरण की कार्यवाही इति स्तर पर डाले की जाती है पत्रावली निकाल हेतु संलग्न से गुम हो।

निर्णय हुआ सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा उदयपुर